तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :— 297/2023 उम्मेद कुमार बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 1 रकबा 6.65 है0, खसरा नं. 230/1 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 231 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 7.20 है0 भूमि अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/32 हिस्सा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र सुरजिया दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम उम्मेद कुमार पुत्र सुरजाराम दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त किया जाये। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा संलग्न दस्तावेजों यथा पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड में व संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम उम्मेद कुमार पुत्र सुरजाराम होना साबित होता है। अतः बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात व बगौर मनन बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा :— —: आदेश :— प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 1 रकबा 6.65 है0, खसरा नं. 230/1 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 231 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 7.20 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम उम्मेद कुमार पुत्र सुरजाराम दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। [signature] 26/12/24 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	